P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-8* April- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

औद्योगिक विकास में योगदान देने वाली निजी वित्तीय संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना एवं कार्यप्रणाली

Organizational structure and functioning of private financial institutions contributing to industrial development

Paper Submission: 05/04/2021, Date of Acceptance: 20/04/2021, Date of Publication: 25/04/2021

मुकेश सस्त्या
सहायक प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
शासकीय महाविद्यालय
भैंसदेही, बैतूल म.प्र. भारत

सपना सोनी
प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
शहीद भीमा नायक शासकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बड़वानी, म.प्र., भारत

किसी भी देश का आर्थिक विकास व्यवसाय या व्यापार की वृद्धि या विकास निर्भर करता है। एक अच्छी विकसित वित्तीय प्रणाली व्यवसाय को धन उपलब्ध करवाकर व्यवसाय एवं औद्योगिक विकास में मदद करती है। इसलिए अनेक व्यवसायों एवं उद्यमियों को वित्त प्रदान करने लिए वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। इन वित्तीय संस्थाओं का उद्देश्य देश के औद्यागिक विकास को बढ़ावा देना है और इन वित्तीय संस्थाओं को 'विकास बैंक' या 'विकास संस्थान' भी कहा जाता है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक विकास के लिए अनेक सरकारी एवं निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है, जो उद्यमियों, व्यवसायकर्ताओं एवं विभिन्न कंपनियों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति करती है। इन वित्तीय संस्थाओं में ICICI, IDBI, IFCI, AXIS Bank, HDFC Bank, SIDBI, EXIM, NABARD मुख्य है। शोध पत्र में प्रस्तावना, साहित्य का पुनरावलोकन, उद्देश्यों, वित्तीय संस्थाओं का आशय व अवधारणा, संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणाली, समस्याओं एवं सुझावों का वर्णन किया गया है।

Economic development of any country depends on the growth or growth of business or business. A good development financial system helps in business and industrial development by providing money to business. Therefore, financial institutions have been established to provide finance to many businesses and entrepreneurs. The purpose of these financial institutions is to promote industrial development and these financial institutions are also called Development Bank or Development Institute. Many government and private sector financial institutions have been set up for industrial development at state and national level, which fulfils entrepreneurs, businessmen and various companies with short term, medieval and long term finance. Among these financial institutions, the ICICI, IDBI, IFCI, AXIS Bank, HDFC Bank, SIDBI, EXIM, NABARD are the main ones. In the research paper, introduction, the review of literature, objectives, financial institutions and concept, organizational structure, methodology, problems and suggestions have been described.

मुख्य शब्द : औद्योगिक विकास, निजी वित्तीय संस्थाएँ, संगठन सरंचना, कार्यप्रणाली, वित्तीय प्रबंधन, संचालक मण्डल, सामाजिक उत्तरदायित्व।
Industrial development, Private Financial Institutions, Organization Structure, Procedure, Financial Management, Board of Directors, Social Responsibility.

प्रस्तावना

हमारे देश में सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठन है– छोटे एवं बड़े, औद्योगिक या व्यापारिक, निजी स्वामित्व वाले एवं सरकारी स्वामित्व वाले। ये सभी संगठन हमारी अर्थव्यवस्था के अंग है और हमारे दैनिक आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को सामान्यतः दो क्षेत्रों में बांटा गया है –निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र में व्यवसायों के स्वामी व्यक्ति होते है अथवा व्यक्तियों के समूह या संगठन। इसमें संगठन के विभिन्न स्वरूप होते है। इसी प्रकार वित्तीय संगठनों का भी स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र में वर्गीकरण किया जाता है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत में कुछ विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ स्थापित की गई है। किसी भी देश का आर्थिक विकास व्यवसाय या व्यापार की वृद्धि या विकास

निर्भर करता है। एक अच्छी विकसित वित्तीय प्रणाली व्यवसाय को धन उपलब्ध करवाकर वृद्धि में मदद करती है। इसलिए अनेक व्यवसायों को वित्त प्रदान करने लिए वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। एक वित्तीय संस्थान की मुख्य वित्तीय संसाधनों को उन लोगों से स्थानांतरित करना है जो इसे बचाते है जिन्हें आर्थिक गतिविधि के लिये वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। वित्तीय संस्थान पारम्परिक रूप से अर्थव्यवस्था के लिये दीर्घकालीन धन का प्रमुख रहे है। ये वित्तीय संस्थान वाणिज्यिक क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पाद और सेवायें प्रदान करते है।

वित्त पूर्ति की समुचित व्यवस्था किए बिना औद्योगिक विकास संभव नही होता। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वित्त उपलब्ध कराने वाले वहां के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बैंक का कार्य भी मानव के शरीर में रक्त धमनियों के समान होता है। जिस प्रकार धमनियों द्वारा मानव के सम्पूर्ण शरीर में रक्त का संचार किया जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में 'धन' या 'वित्त' का संचार बैंको एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

एक उद्यमी अथवा व्यवसायकर्ता अपने व्यक्तिगत, साझेदारी संस्था या कम्पनी के रूप में एक औद्योगिक इकाई की स्थापना करते है। वे इस औद्योगिक इकाई की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण एवं तकनीकी विकास के लिए वित्त की आवश्यकता की पूर्ति स्वयं, परिजनों, सार्वजनिक तथा निजी बैंकों, निजी वित्तीय संस्थाओं एवं अनेक वित्तीय तथा विकास निगमों के माध्यम से करते है।

राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक विकास के लिए अनेक सरकारी एवं निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है, जो उद्यमियों, व्यवसायकर्ताओं एवं विभिन्न कंपनियों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति करती है और साथ ही कुछ विशेष योजनाओं का भी संचालन करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन वित्तीय संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना एवं उनकी कार्यप्रणाली एवं भूमिका का अध्ययन किया जाये, जिससे इंदौर जिले के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके और औद्योगिक विकास पर आधारित अन्य क्षेत्रों में भी सुव्यवस्थित विकास किया जा सके।

साहित्यावलोकन

देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने एवं औद्योगिक वित्त की पूर्ति के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड आदि की स्थापना की गई है परंतु जिले के औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है तथा इन निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का लाभ लेकर अनेक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही है एवं अनेक व्यापारिक फर्मों को संचालित किया जा रहा है। शोध अध्ययन से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करने से एक निश्चित दिशा ही नही वरन् शोध को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने में सहायता मिलती है। मेरे द्वारा निम्न शोध पत्रों, पुस्तकों एवं अभिलेखों का अध्ययन किया गया।

डॉ. आर. एस. कुलश्रेष्ठ ने अपनी पुस्तक 'औद्योगिक अर्थशास्त्र' में औद्योगिक विकास के महत्व को बताते हुए यह कहा है कि –''औद्योगीकरण आधुनिक युग की अनिवार्य मांग है। औद्योगिक विकास के बिना आज कोई राष्ट्र न तो अपने देशवासियों को जीवन के प्रचुर साधन प्रदान कर सकता है और न ही ऐसा राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका का भली भांति निर्वाह कर सकता है। इस प्रकार औद्योगिक विकास अब एक युग धर्म बन चुका है। विश्व के प्रायः सभी राष्ट्र औद्योगीकरण के बल पर ही प्रचुरता एवं सम्पन्नता के उच्च स्तर तक पहुंचने में सफल हुए है। अतः यह कहा जाए कि औद्योगीकरण सम्पन्नता का प्रतीक है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नही होगी। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक ही है कि औद्योगीकरण ही इस दौड़ में विश्व के अनेक विकासशील राष्ट्र भी सम्मिलित हो। इनमें से कई राष्ट्र प्रचुर प्राकृतिक साधनों के धनी है। यदि कोई कमी है तो वह इन प्रचुर साधनों के विदोहन की है जिसके बिना वे सम्पन्नता में भी विपन्नता में जीने के लिए विवश है। भारत भी एक ऐसा भाग्यशाली देश है जहां प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रचुर साधन अपने विदोहन के लिए प्रतिक्षारत् है।''

आर. एम. मलला के शोध पत्र : 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का वित्त पोषण' अनुसार ''ऋण किसी भी व्यवसाय की जीवन रेखा होती है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के क्षेत्र के व्यवसाय में तो यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अपर्याप्त और समय पर ऋण न मिलना, सूक्ष्म और लघु उद्योगों की बड़ी पुरानी समस्या है। सूक्ष्म और लघु क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा संस्थागत वित्त प्राप्त करने के मार्ग में जिन बाधाओं अथवा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वे हैं – ग्यारण्टी / गिरवी पर जोर, बैंको का नियमों में बंधा होना, सख्त नजरीया, ऊँची ब्याज दरें और कागज, जटिल कागजी कार्यवाही, व्यवसाय के विकास की सहायक सेवाओं का अभाव आदि। बड़ी कम्पनियों के विपरीत छोटे उद्यमों का पूँजी अभिवृद्धि दीर्घकालीन ऋणों के लिए पूँजी बाजार का रूख करना काफी सीमित होता है। इसके अलावा, इस तरह की इकाइयों को प्रारम्भिक चरण में सहारे और व्यवसाय के विकास के लिए सहायक सेवाओं की आवश्यकता होती है। प्रायः उन्हें परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और हिसाब – किताब रखने के लिए भी सहायक की आवश्यकता होती है। किसी भी नये उद्यम के लिए, जिनकी सफलता का कोई पिछला इतिहास नही है, वेंचर केपिटल अथवा प्रारंभिक पूंजी मित्रों एवं सम्बन्धितों से ही प्राप्त होती है और यह वह क्षेत्र है जहां मांग आपूर्ति से कही अधिक होती है। विलम्ब अथवा अपर्याप्त कार्यकारी पूँजी से परियोजना पटरी से उतर सकती है और मामला बिगड़ सकता है। अधिक मांग से निपटने के लिए बैंकों में जोखिम का अध्ययन करने की दक्षता और सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता की आवश्यकता है। यदि धन प्राप्त

करने की कुल लागत में कमी लाना है तो लेन – देन की लागत में कमी लाना होगी। हालांकि अनेक बैंकों में इस क्षेत्र को ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया को शीघ्र निपटाने के लिए विशिष्ट शाखाएं व योजनाएं है, फिर भी इन बैंकों से काफी अपेक्षाएं है। उनके सामने अनेक चुनौतियां है।''

वैशाली शर्मा के शोध पत्र ''निजी क्षेत्र की चयनित बैंकों की गैर – निष्पादन आस्तियों के प्रबंध का तुलनात्मक अध्ययन'' – भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग बैंक लि. के विशेष संदर्भ में – वर्ष 2010 अनुसार मुझे निजी बैंकों की स्थापना, कार्यप्रणाली, ऋण व अग्रिम व गैर – निष्पादन आस्तियों के सम्बंध में जानकारी मिली, जो कि मेरे शोध अध्ययन के लिए आवश्यक था।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

1. निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा औद्योगिक विकास हेतु वित्त पूर्ति की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
2. वित्तीय संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन करना।

वित्तीय संस्थाओं का आशय एवं अवधारणा

हमारे देश में पूँजी बाजार की कमियों को दूर करने तथा नये उद्योगों के प्रवर्तन तथा विकास के लिये पूँजी प्रदान करने के उद्देश्य से विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की गई।

वित्त एवं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उन संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएँ कहते हैं जो अपने ग्राहकों एवं सदस्यों को वित्तीय सेवायें जैसे – ग्राहक का धन जमा करना, ग्राहक को ऋण देना, बैंक ड्राफ्ट देना, निधि अंतरण आदि देते हैं। उद्योग धन्धों को चलाने के लिए पूँजी की जरूरत होती है। जो इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। ये उद्योग जनता को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इन वित्तीय संस्थाओं की मदद से आम लोग उद्योगों में अपनी पूँजी लगाते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं, तो दूसरी ओर देश के विकास में योगदान देते हैं।

औद्योगिक विकास के सहायतार्थ स्थापित ये वित्तीय संस्थाएँ मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। इसके साथ ही इन संस्थाओं द्वारा औद्योगिक इकाइयों को अन्य प्रकार की सुविधायें भी प्रदान की जा रही है। इन वित्तीय संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य पूँजी बाजार की कमी को पूरा करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये वित्तीय संगठन पूरक संस्था की हैसियत से कार्य कर रही है। ये वित्तीय संस्थाएँ उन औद्योगिक इकाईयों को सहायता प्रदान करती है जो परम्परागत साधनों से धन एकत्र करने में असमर्थ रहती है।

लघु, मध्यम और दीर्घकालीन औद्योगिक इकाइयों की पूँजी सम्बन्धी आवश्यकताएँ निम्न तीन प्रकार की होती है – 1. दीर्घकालीन पूँजी, 2. मध्यकालीन पूँजी, 3. अल्पकालीन पूँजी।

दीर्घकालीन पूँजी लम्बे समय के लिए होती है। सामान्यतया इसकी अवधि 10 वर्षों से अधिक समय के लिए होती है। इस पूँजी की आवश्यकता भवन, मशीन, संयंत्र आदि के लिए होती है। इसकी पूर्ति अंशपत्र, ऋणपत्र, वित्तीय संस्थाओं से ऋण के द्वारा किया जाता है।

मध्यकालीन पूँजी की आवश्यकता दीर्घकालीन पूँजी से कम अवधि के लिए होती है, लेकिन अल्पकालीन पूँजी से अधिक समय के लिए होती है। इसकी आवश्यकता भवन एवं मशीनों की मरम्मत, संयंत्रों की प्रतिस्थापना आदि के लिए होती है। इस पूँजी की आपूर्ति विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं, जन निक्षेप, ऋणपत्र आदि के द्वारा की जाती है।

अल्पकालीन पूँजी की आवश्यकता कम अवधि के लिए होती है। सामान्यतया यह अवधि एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए होती है। इसे कार्यशील पूँजी भी कहते है। यह कच्चा माल खरीदने, मजदूरी का भुगतान करने आदि के लिए आवश्यक होती है। इसका पूर्ति देशी बैंकरों, व्यापारिक बैंकों से ऋण आदि के माध्यम से की जाती है।

स्वतंत्रता के पूर्व भारत में दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने वाली अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का सर्वथा अभाव था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् केन्द्र सरकार ने देश के तीव्र औद्योगिक विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की, इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, स्पष्टीकरण एवं पूँजी प्रधान उद्योगों का विकास आवश्यक था। इन सबके लिए विशाल मात्रा में पूँजी, तकनीकी ज्ञान एवं वित्तीय कार्यकुशलता की आवश्यकता थी। इस हेतु सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अनेक वित्तीय संस्थानों की स्थापना का कार्य 1948 में भारतीय वित्त निगम की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। तब से अब तक औद्योगिक विकास में सहायता प्रदान करने हेतु बड़ी संख्या में वित्तीय निगमों की स्थापना की जा चुकी है। भारत में स्थापित विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं को प्रमुख रूप से – 1) राष्ट्र स्तरीय वित्तीय संस्थान 2) राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान एवं 3) अन्य संस्थान में विभाजित किया जा सकता है। इन वित्तीय संस्थाओं को निम्न अन्य प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :–

1. अखिल भारतीय संस्थान – इसमें ICFI, **IDBI**, SIDBI आदि संस्थाएँ शामिल हैं।
2. विशेष वित्तीय संस्थान – ये संस्थान विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए हैं तथा ये विशिष्ट कार्य के लिए ही वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कार्य करते है। इनमें EXIM BANK, IVCF, IFCI तथा IDFC शामिल है।
3. निवेश संस्थान – ये ऐसे संस्थान है जो जनता से धन एकत्रित कर उसे औद्योगिक इकाइयों में निवेशित करने का कार्य करते है। उनमें LIC, GIC तथा UTI प्रमुख है।
4. पुनर्वित्त संस्थान – ये संस्थान औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले संस्थानों को पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इनमें NHB तथा NABARD प्रमुख है।
5. राज्य स्तरीय संस्थान – इसमें राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान शामिल है जैसे राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम।

6. अन्य वित्तीय संस्थान – उपर्युक्त संस्थानों कें अतिरिक्त वे संस्थान है जो औद्योगिक गतिविधियों हेतु धन उपलब्ध कराते हैं। जैसे : ECGC एवं DICGC आदि।

भारत में संस्थागत औद्योगिक वित्त की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए औद्योगिक वित्त निगम जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उद्योगो की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना भारत में इसलिए आवश्यक है, क्योंकि एक ओर तो पर्याप्त रूप में विकसित पूँजी बाजार का अभाव है और दूसरी ओर अंग्रेजी पद्धति पर आधारित व्यापारिक बैंक औद्योगिक वित्त प्रदान करने में असमर्थ है। इन परिस्थितियों में स्वतंत्रता पश्चात् भारत सरकार ने औद्योगिक विकास हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की।

वित्तीय संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना

वित्तीय संस्थाओं की प्रबंध व्यवस्था से पूर्व वित्तीय प्रबंधन को जानना उचित है – वित्तीय प्रबंधन से आशय 'धन या पूंजी का दक्ष एवं प्रभावी प्रबंधन है ताकि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।' वित्त प्रबंधन का कार्य संगठन का महत्वपूर्ण कार्य है। मनुष्यों द्वारा अपने जीवनयापन के लिये प्रायः दो क्रियायें आर्थिक क्रियाएँ एवं अनार्थिक क्रियाएँ करना पड़ती है। आर्थिक क्रियाओं के अन्तर्गत उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनमें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से धन से संबंधित होती है जैसे – रोटी, कपड़े, मकान की व्यवस्था। जब किसी प्रकार का व्यवसाय किया जाता है या कोई उद्योग लगाया जाता है तो सर्वप्रथम 'वित्त' या 'धन' की आवश्यकता होती है जिसे पूँजी कहा जाता है। व्यवसाय के लिये कितनी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी, वह धन कहाँ से प्राप्त होगा और उसका उपयोग किस तरह किया जायेगा, एक वित्तीय प्रबंधक को इन सबका ध्यान रखना पड़ता है।

वित्तीय संस्थाएँ बैंकिंग, बीमा, शेयर मार्केट, होमलोन, म्युचुअल फण्ड, क्रेडिट कार्ड ओर अन्य ऋण संबंधी सेवायें देती है। वित्तीय संस्थाओं का मुख्य कार्य देश में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना होता है। वित्तीय संस्थाएँ उद्योग धन्धों को संचालित करने के लिये जिस पूँजी की जरूरत होती है, उपलब्ध करवाती है तथा ये उद्योग धन्धें लोगों को रोजगार प्रदान करते है। लोग अपनी बचत का पैसा बैंकों में जमा करते हैं या बीमा, शेयर मार्केट या म्युचुअल फण्ड में निवेश करते है। लोगों से प्राप्त ये पैसा उद्योग धन्धों ओर विकास के क्षेत्र में लगाया जाता है। वित्तीय संस्थाओं की सहायता से एक तरफ आम जनता उद्योगों में अपना धन लगाती है तथा दूसरी तरफ ऐसा करके वह देश के विकास में भी सहयोग देती है। ये वित्तीय संस्थाएँ आम लोगों की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कई प्रकार के ऋण देती है। जैसे मकान खरीदने के लिए होम लोन, उच्च शिक्षा के लिये उच्च शिक्षा ऋण, कार और अन्य वाहन खरिदने के लिये ऑटोमोबाईल ऋण और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए।

विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का प्रबंध व संचालन उनके संचालन मंडल द्वारा किया जाता है। इन संचालक मंडल में विभिन्न समितियां कार्यपालक समिति, लेखा परीक्षा समिति, निवेश प्रबंधक समिति, धोखाधड़ी समिति, जोखिम प्रबंध समिति, ग्राहक सेवा समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, वित्त समिति, लघु एवं ग्रामोद्योग समिति, मध्यम एवं वृहद उद्योग साख समिति आदि होती है।

इन समितियों का विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है :–

कार्यकारी/कार्यपालक समिति

कार्यकारी या कार्यपालक समिति सभी समितियों में मुख्य समिति होती है। यह ऋण देने, नीतियाँ निर्माण करने, नई योजनायें लागू करने, धन जमा करने, ब्याज की अवधि व विधि, ऋण की राशि व कार्यवाही संबंधी समस्त कार्यों पर अंतिम निर्णय लेती है, जिसका अन्य समितियाँ पालन करती है।

लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति में मुख्यतः दो कार्यपालक निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशक होते है। लेखा परीक्षा समिति के कार्य एवं अधिकार सूचीबद्धता करार के संशोधित खण्ड 49, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 (ए) के प्रावधानों तथा रिजर्व बैंक के दिशा – निर्देशों के अनुरूप रहते है। लेखा परीक्षा समिति द्वारा देखे जाने वाले मामलों में तिमाही, छः माही, वार्षिक लेखों, आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा, रिजर्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट का अनुपालन आदि शामिल है।

निवेशक/शेयर धारक शिकायत निवारण समिति

इस समिति का गठन शेयरधारक एवं निदेशकों के शेयर/ अंशों का अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नही होने, घोषित लाभांश प्राप्त नही होने से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए किया गया है। इस समिति में भी दो कार्यपालक निदेशक और तीन स्वतंत्र गैर–कार्यपालक निदेशक होते हैं।

धोखाधड़ी निगरानी समिति

बैंक में धोखाधड़ी से संबंधित पहलूओं को देखने के लिए एक धोखाधड़ी निगरानी समिति गठीत की जाती है।

जोखिम प्रबंध समिति

इसमें भी दो उप प्रबंध निदेशक तथा तीन निदेशक पाँच सदस्य शामिल होते है। यह समिति बैंक कारोबार से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन, उसमें कमी लाने और आस्ति देयता असंतुलन से जुड़े मुद्दों का भी समाधन करती है।

ग्राहक सेवा समिति

रिटेल बैंकिंग सेक्टर में ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने और ग्राहक को कारगर सेवा देने के लिए एक ग्राहक सेवा समिति का गठन किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष, दो उपप्रबंधक निदेशक तथा दो सदस्य सहित पाँच सदस्य होते है।

सूचना प्रौद्योगिकी समिति

अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने, दृष्टिकोण को कारगर बनाने में सहायता

करने, योजनाएँ शुरू करने और सेवाओं का प्रावधान करने हेतु प्रोद्योगिकीय प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए बैंकों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में एक अध्यक्ष, दो उपप्रबंधक निदेशक तथा दो सदस्य होते है।

वित्त समिति

वित्त समिति धन एकत्रित करने संबंधी समस्त कार्यो के लिए उत्तरदायी होती है। अंशों के निर्गमन, ऋण –पत्रों के निर्गमन व अन्य सभी उचित माध्यमों से फण्ड को एकत्रित करने का कार्य वित्त समिति कार्यकारी की समिति की अनुशंसा से करती हैं। कार्यकारी समिति की आज्ञा के बगैर यह वित्त संबंधी कोई भी कार्य करने में असमर्थ होगी।

लघु उद्योग व ग्रामोद्योग साख समिति

लघु उद्योग व ग्रामोद्योग साख समिति ग्रामीण क्षेत्रों व विशेष रूप से लघु आकार के जरूरतमंद उद्यमियों को कार्यकारी समिति के आदेश पर सभी कार्यवाही पूर्ण कर ऋण प्रदान करने का कार्य करती है।

मध्यम व वृहद उद्योग साख समिति

यह समिति मध्यमकालीन व दीर्घकालीन बड़े व छोटे आकार के उपक्रमों को ऋण प्रदान करने का कार्य कार्यकारी समिति की अनुशंसा पर करती है।

वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

व्यापक दृष्टि से इन वित्तीय संस्थाओं/बैंकों का उद्देश्य औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए वित्तीय व प्राविधिक सहायता की व्यवस्था करना है। ये मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :–

वित्तीय सहायता

इन वित्तीय संस्थाओं/बैंकों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना हैं। बैंकों द्वारा यह वित्तीय सहायता मध्यावधि व दीर्घावधि के लिए दी जाती है। यह सहायता सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों के उद्योगों को प्रदान की जाती है और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में दी जाती है।

कॉरपोरेट वित्त

ये वित्तीय संस्थायें/बैंक कम्पनियों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये बैंक विभिन्न कारोबारी खण्डों जैसे जमाराशियों, नकदी प्रबंध सेवाएँ, केन्द्र एवं राज्य सरकार का एजेंसी कारोबार (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर), व्यापार वित्त तथा ट्रेजरी उत्पाद के अंतर्गत अनेक प्रकार की कॉरपोरेट बैंकिंग योजनाएँ भी प्रदान करते हैं।

बुनियादी क्षेत्र को वित्त

बुनियादी क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के समय से ही यह बिजली, दूरसंचार, सड़क, हवाई अड्डा, बंदरगाह, रेलवे, संचार तंत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों की बुनियादी परियोजनाओं की संरचना और वित्तपोषण में अग्रणी रही है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में बुनियादी क्षेत्र के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका और साथ ही इस क्षेत्र के लिए आवश्यक भारी निवेश के समाधान जैसे कारपोरेट सलाह, ऋण इक्विटी का समूहन, वित्तीय संरचना, मियादी ऋण, कार्यशील पूंजी, प्रतिभूतिकरण और अन्य सम्बद्ध सेवायें प्रदान करने के लिए संकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है।

मोबाइल भुगतान समाधान

मोबाइल फोन की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी सुरक्षा विशेषताओं में सुधार के अनुरूप बैंकिंग विनियामक ने मोबाइल आधारित लेन –देन की अनुमति दी है। मोबाइल प्रौद्योगिकी क्रांति से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के उद्देश्य से इन वित्त संस्थाओं/बैंकों ने 'मोबाइल फोन समाधान' शुरू किया हैं जो मोबाइल फोन के उपयोग द्वारा एक सुरक्षित तथा सुविधाजनक भुगतान विकल्प हैं। इस योजना में निर्धारित सीमाओं के अधीन मोबाइल फोन से माल तथा सेवाओं की खरीद के लिए भुगतान और निधियों का अंतरण शामिल हैं।

खुदरा वित्त

इन विकास बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने अपने नेटवर्क का विस्तार कर, नवोन्मेषी योजनाएँ तैयार कर, ग्राहक आधार बढ़ाकर और प्रतिफल में सुधार लाकर खुदरा व्यापार के हिस्से को बढ़ाने की योजना बनाई है।

म्युचुअल फण्ड एवं बीमा योजनाएँ

ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय योजनाएँ उपलब्ध कराने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने म्युचुअल फण्ड और बीमा कम्पनियों में निवेश किया है।

समस्याएँ

ऋण वितरण प्रणाली में वित्तीय संस्थाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऋण प्रदाय करने से पहले संबधित हितग्राही के आवश्यक प्रपत्रों की जाँच – पड़ताल कर पात्र – अपात्र की घोषणा की जाती है और ऋण पश्चात् ऋण की वसूली के सबंध में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ समस्याओं का विवरण निम्न रूप में प्रस्तुत किया गया है –

ऋण लेने वाले उद्यमियो या संस्था की वित्तीय स्थिति का पता लगाना

वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण लेने वाले उद्यमी या संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का पता लगाना अत्यन्त कठिन होता है क्योंकि कई उद्यमी या संस्थाएँ अपने खातों को लेखा सिद्धान्तों के अनुसार नही रखते और कई बार अंकेक्षण भी नही करवाते।

उद्योगों का भविष्य अनिश्चित होने से ऋण देने में कठिनाई

जिन नए एवं पुराने दोनों प्रकार के उद्योगों की सफलता अनिश्चित होती है, उनको ऋण देना प्रायः कठिन होता है क्योंकि उनकी योजनाओं का सही अनुमान नही लगाया जा सकता।

अधिक ब्याज दरें

सामान्यतः निजी वित्तीय संस्थाओं में सरकारी बैंकों या वित्तीय संस्थाओं की तुलना में प्रदत्त वित्तीय सहायता या वितरित ऋण पर ब्याज की दरें ऊँची होती है।

अनुदान या अरिक्ति छूट का अभाव

जिस प्रकार सरकारी बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसी विशेष योजना या प्रोत्साहन योजना के द्वारा वित्तीय अनुदान या छूट दी जाती है, वहीं निजी क्षेत्र की

वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऐसी कोई सहायता या छूट प्रदान नहीं की जाती है।

सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव

सामान्यतः सभी निजी व्यावसायिक संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इस प्रकार वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी केवल भविष्य में प्राप्त होने वाले ब्याज प्रतिफल की आशा में ही ऋण वितरण का कार्य किया जाता है।

सुझाव

किसी भी बैंक या इन वित्त संस्थाओं द्वारा उद्यमियों को ऋण स्वीकृत करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए –

01. ऋण वसूली अधिकारियों को ऋण लेने वाले उद्यमी या संस्थाओं के सम्पर्क में नियमित रूप से रहना चाहिए एवं नियमित रूप से वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए एवं भुगतान की जाने वाली किश्तों के प्रति सचेत करना चाहिए।
02. इन वित्तीय संस्थाओं एवं राज्य सरकारों को चाहिए कि बिना किसी दबाव के अविकसित क्षेत्रों में विकास हेतु सामाजिक उत्तरदायित्व मानकर कार्य करना चाहिए जो राष्ट्रहित, समाजहित एवं जनहित में लाभदायक हो।
03. ऋण वितरण गठित समितियाँ सरल एवं पारदर्शी होना चाहिए। किसी भी साधारण व्यक्ति या उद्यमी को समझने एवं पूर्ण करने में कोई कठिनाई नही होना चाहिए।
04. ऋण की स्वीकृति की प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र पूरी की जाना चाहिए। ऋण स्वीकृति की अवधि एवं वितरण से संबंधित निश्चित मापदण्ड निर्धारित किए जाना चाहिए ताकि कोई भी अधिकारी द्वारा अनावश्यक विलम्ब नही किया जा सके।
05. वित्तीय संस्थाओं को अपनी ब्याज दरों को कुछ कम रखना चाहिए, क्योंकि ऋणी पहले ही स्वयं की पूँजी अभाव के कारण ऋण हेतु आवेदन करता है। वह रजिस्ट्री का टिकट, कानूनी कागज, व अन्य प्रपत्रों के संबंध में काफी व्यय वहन करता है, जिससे ऋण का भार और अधिक बढ़ जाता है।

निष्कर्ष

देश की सभी औद्योगिक इकाईयों द्वारा देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। इन्दौर जिले में भी यहाँ की सभी इकाईयों द्वारा जिले के औद्यागिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है और उनको वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त सहायता प्रदान की गई है।

इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणी के साधनों की सीमाओं का ध्यान रखते हुए ऋण वितरण करना चाहिए। लघु और कुटीर उद्योग धन्धों की स्थापना के लिए अधिक ऋण सुलभ कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। उद्योग केन्द्रों को उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाना चाहिए। बीमार औद्योगिक इकाईयों की कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वित्तीय संस्थाओं इन्दौर जिले में ऋण सहायता के प्रभावी मूल्यांकन हेतु न्यादर्श जो कि इन्दौर जिले के उद्यमियों को दी गई प्रश्नावली के उत्तरों को एवं वित्तीय संस्थाओं एवं औद्योगिक इकाईयों से प्राप्त अभिलेखों व प्रपत्रों को आधार बनाया गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *डॉ. कुलश्रेष्ठ, निगमों का वित्तीय प्रबंध, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा*
2. *प्रो. एम डी अग्रवाल, वित्तीय प्रबंध : सिद्धान्त, व्यवहार व नियंत्रण, रमेश बुक डिपो, जयपुर*
3. *डॉ. एस. सी. सक्सेना, भारत में उद्योगों का संगठन, वित्त व्यवस्था एवं संगठन, नेशनल पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली*
4. *डॉ. सुदामा सिंह, सार्वजनिक वित्त, क्लासीकल पब्लिशिंग कम्पनी, कोलकाता*
5. *कु. दुर्गेश नन्दिनी परमार, इन्दौर के विकास का इतिहास*
6. *डॉ. सूरजप्रसाद तिवारी, इन्दौर राज्य का इतिहास*
7. *एच. एल. भाटिया लोक वित्त (तृतीय संस्करण)*
8. *N. R. Jalaja, "Industrial growth in Madhya Pradesh: Structure and Economic Backwardness"*
9. *Supriya Bandi "A study of problems and prospects of Small Scale Industries in Madhya Pradesh" (with special reference to Indore 2005 to 2010)*
10. *Critical Analysis of Role played by Financial Institutions in development of Indian MSME's.*

Webliography

1. *www.nsic.co.in*
2. *www.smallindustrialdevelopment.com*
3. *www.mpindustry.org*
4. *www.mpakvnbhopal.nic.in*
5. *www.dcmsme.gov.in*

मासिक पत्रिका

1. *योजना मार्च 2011*
2. *बैंकिंग चिंतन –अनुचिंतन (एमएसएमई विशेषांक) अक्टूबर – दिसंबर 2011*